छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा   पंचादश सत्र   अंक-04

<u>रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 जनवरी, 2023</u>

(पौष 13, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02 से 07 (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 01 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 39 तारांकित एवं 59 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2021- 22 के वित्त लेखे खण्ड 1 एवं खण्ड 2 तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन,

(2) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 (1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च,2022), तथा

(3) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च,2021)

पटल पर रखे ।

3. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 02 जनवरी, 2023 में लिए गए निर्णय अनुसार विधायी कार्यों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है, जो इस प्रकार है :-

	शासकीय विधि विषयक कार्य	समय
1	छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2022	1 घंटा
2	छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022	15 मिनट

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4. पृच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने कथन किया कि आज प्रश्नकाल में जो स्थिति पैदा हुई, उसके संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय ने कथन किया कि सामान्य रूप से अभी तक जितने भी सदन मैंने देखे हैं, उसमें माननीय सदस्य खड़े होकर कहते हैं कि मैं इस धारा के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं, मगर जो नियम, कानून, प्रक्रिया, है उसके अनुसार यह कहें कि मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं, मुझे इसमें आपत्ति है या आप उसमें संशोधन कर लीजिये। सभी माननीय सदस्य अगली बार व्यवस्था का प्रश्न रखते समय, यह ध्यान रखें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि प्रश्नकाल में सत्तापक्ष जिस प्रकार से प्रश्नों में व्यवधान करता है, क्या यह उचित है, इस पर एक स्थायी व्यवस्था दी जानी चाहिये कि कम से कम प्रश्नकाल में सत्तापक्ष के सदस्य व्यवधान उपस्थित न करें ।

सर्वश्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष और अजय चन्द्राकर, सदस्य ने भी इस संबंध में विचार व्यक्त किये ।

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.13 बजे स्थगित की जाकर 12.37 बजे समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भगृह में आये ।)

5. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

श्री धरमलाल कौशिक, डॉ.रमन सिंह, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू एवं श्री प्रमोद कुमार शर्मा ।

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.40 बजे स्थगित की जाकर 12.48 बजे समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

6. निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा

माननीय सभापति ने नियम 250 (1) के अतंर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

अपराह्न 12.49 बजे, विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 4 जनवरी, 2023 (पौष 14, शक संवत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा